AEC
Australian Electoral Commission

डाक से मतदान कैसे करें

पढ़ने में आसान मार्गदर्शिका

Easy Read

Hindi | हिंदी

इस मार्गदर्शिका का उपयोग कैसे करें

ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग (एईसी) ने यह मार्गदर्शिका तैयार की है। जब आपको 'हम' शब्द या इसका कोई प्रारूप दिखाई देता है, तो इसका अर्थ एईसी है।

हमने इस मार्गदर्शिका को पढ़ने में आसान तरीके से लिखा है।

कुछ विचारों को समझाने के लिए हम चित्रों का प्रयोग किया है।

हमने कुछ शब्दों को **बोल्ड अक्षरों** में लिखा है। हम इन शब्दों के अर्थ समझाएँगे। पृष्ठ 31 पर इन शब्दों की एक सूची दी गई है।

आप इस मार्गदर्शिका को पढ़ने के लिए सहायता ले सकते/सकती हैं। कोई मित्र, परिवार का सदस्य या समर्थन व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है।

इस मार्गदर्शिका में क्या दिया गया है?

चुनाव में मतदान करना	4
मतदान के लिए अपना नामाँकन करना	6
आपको मतदान करने की आवश्यकता कब होती है?	7
यदि आप चुनाव के दिन मतदान न कर पाएँ, तो क्या होगा?	8
आप डाक से मतदान करने के लिए कैसे निवेदन सकतेसकती हैं/?	10
आपको अपने मतपत्र कब मिलेंगे?	16
आपको अपने मतपत्रों के साथ क्या करना होगा?	17
आपको अपना हरे रंग का मतपत्र कैसे भरना चाहिए?	20
आपको अपना सफेद रंग का मतपत्र कैसे भरना चाहिए?	22
आपको अपने मतपत्र कहाँ जमा करने चाहिए?	26
क्या आपको प्रत्येक चुनाव में डाक से मतदान के लिए आवेदन करना आवश्यक है?	27
क्या आप चुनाव से पहले मतदान का अभ्यास कर सकते/सकती हैं?	29
आप और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकतेसकती हैं/?	30
शब्द सूची	31
हमसे संपर्क करें	34

चुनाव में मतदान करना

ऑस्ट्रेलिया में लगभग हरेक 3 सालों में **संघीय चुनाव** आयोजित किए जाते हैं।

संघीय चुनाव पूरे देश के लिए होता है।

इसके माध्यम से हम ऑस्ट्रेलिया की सरकार का चुनाव करते हैं।

गवर्नर-जनरल चुनाव की तिथि का चयन करते हैं।

चुनाव शनिवार के दिन आयोजित किए जाते हैं।

उस दिन ऑस्ट्रेलियाई नागरिक **मतदान** करेंगे।

जब आप मतदान करते/करती हैं, तो आप इस बात का चयन करने में सहायता देते/देती हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार का हिस्सा कौन बनेगा।

आपके लिए मतदान करना अनिवार्य है, यदि आप:

- एक ऑस्ट्रेलियाई **नागरिक** हैं

  और

- आपकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है।

नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने निवास के देश के अधिकार और स्वतंत्रताएँ दी जाती है।

मतदान करके आप इस बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते/सकती हैं कि हमारे देश का संचालन कौन करेगा।

मतदान के लिए अपना नामाँकन करना

मतदान करने से पहले आपको अपना **नामाँकन** करना होगा।

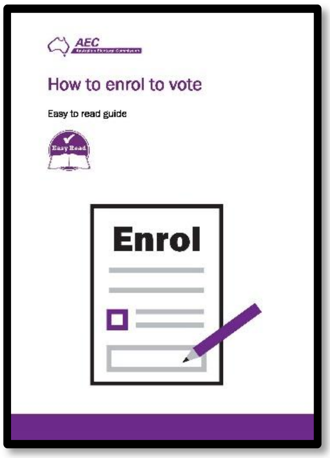

आप नामाँकन करने का तरीका बताने वाली हमारी मार्गदर्शिका पढ़ सकते/सकती हैं – *मतदान के लिए अपना नामाँकन कैसे करें।*

आपको मतदान करने की आवश्यकता कब होती है?

गवर्नर-जनरल चुनाव की तिथि तय करते हैं।

चुनाव की तिथि तय कर लिए जाने के बाद हम लोगों को बताएँगे कि यह तिथि क्या है।

यदि आप जानना चाहते/चाहती हैं कि चुनाव का तिथि क्या है, तो आप:

- हमारी वेबसाइट www.aec.gov.au पर जा सकते/सकती हैं
- किसी परिजन, मित्र या पड़ोसी से पूछ सकते/सकती हैं
- टीवी पर समाचार देख सकते/सकती हैं
- ऑनलाइन खोज कर सकते/सकती हैं
- नंबर 13 23 26 पर हमें कॉल कर सकते/सकती हैं।

चुनाव के दिन मतदान सुबह 8 बजे आरंभ होता है।

चुनाव के दिन मतदान शाम 6 बजे समाप्त होता है।

आपको मतदान समाप्त होने से पहले मतदान करना होगा।

यदि आप चुनाव के दिन मतदान न कर पाएँ, तो क्या होगा?

कभी-कभी लोग चुनाव के दिन मतदान नहीं कर पाते हैं।

ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे अवकाश पर घूमने जा रहे होते हैं।

या शायद वे अस्पताल में होंगे।

यदि आप चुनाव के दिन मतदान न कर पाएँ, तो आप चुनाव से पहले मतदान कर सकते/सकती हैं।

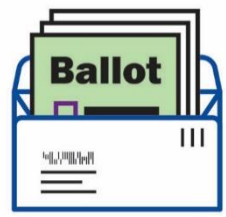

आप हमें डाक से अपना मत भेज सकते/सकती हैं।

इसे **डाक से मतदान** कहा जाता है।

आपको डाक से मतदान के लिए आवेदन करना होगा।

पृष्ठ 20 पर डाक से मतदान करने का तरीका समझाया गया है।

आप चुनाव के दिन से पहले कुछ **मतदान स्थलों** पर भी मतदान कर सकते/सकती हैं।

मतदान स्थल स्कूल या सामुदायिक केंद्र जैसा एक भवन होता है, जहाँ चुनाव के दौरान लोग मतदान करने के लिए जाते हैं।

यदि आप हमें कॉल करते/करती हैं, तो हम आपके निकट स्थित मतदान स्थल की खोज करने में आपकी सहायता कर सकते/सकती हैं।

13 23 26

आप डाक से मतदान करने के लिए कैसे निवेदन सकते/सकती हैं?

आप एक फॉर्म भरकर डाक से मतदान करने के लिए निवेदन कर सकते/सकती हैं।

हम इसे डाक से मतदान के लिए आवेदन कहते हैं।

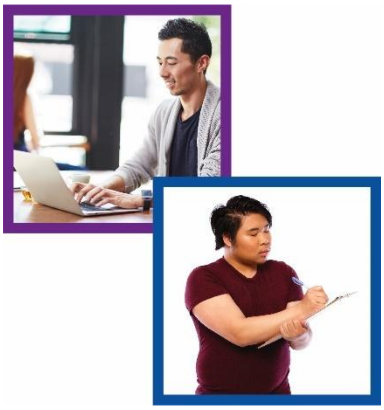

आप अपने डाक से मतदान के लिए आवेदन को निम्नलिखित तरीकों से भर सकते/सकती हैः

- ऑनलाइन
- कागज़ पर।

डाक से मतदान के लिए अपने आवेदन को ऑनलाइन भरना

चुनाव के दिन की तिथि तय कर लिए जाने के बाद हमारी वेबसाइट पर जाएँ।

www.aec.gov.au/pva

आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

हमने इन प्रश्नों को पृष्ठ 14 पर समझाया है।

आप अपने डाक से मतदान के लिए आवेदन को ऑनलाइन भरने के लिए सहायता माँग सकते/सकती हैं।

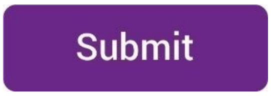

जब आप समाप्त कर लें, तो आपको उस बटन का प्रयोग करना होगा जिसपर दिखाई देगा: Submit (जमा करें)।

डाक से मतदान के लिए अपने आवेदन को कागज़ पर भरना

आप किसी भी एईसी कार्यालय से डाक से मतदान के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

यदि आप हमें कॉल करते/करती हैं, तो हम आपको यह फॉर्म डाक से भेज सकते हैं।

हमारा नंबर हैः 13 23 26

आपको फॉर्म पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

हमने इन प्रश्नों को पृष्ठ 14 पर समझाया है।

आप अपने डाक से मतदान आवेदन फॉर्म को कागज़ पर भरने के लिए सहायता माँग सकते/सकती हैं।

जब आप समाप्त कर लें, तो आपको उस फॉर्म को हमारे पास वापिस भेजना होगा।

आप:

- डाक से इसे हमारे पते पर भेज सकते/सकती हैं:

  AEC

  Reply Paid 9867

  आपके राजधानी नगर में

  आपको डाक टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।

- इसे एक एईसी कार्यालय में ले जा सकते/सकती हैं। यदि आप हमें कॉल करते/करती हैं, तो हम आपके पास स्थित एक एईसी कार्यालय की खोज करने में आपकी सहायता कर सकते हैः

  13 23 26

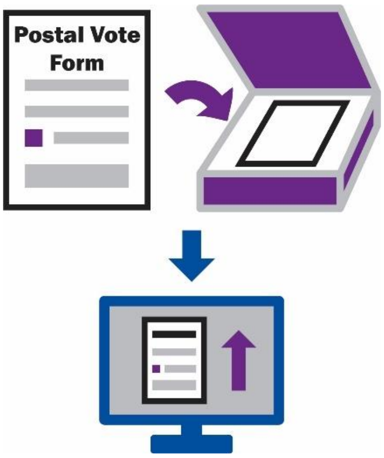

- इसे स्कैन करके हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते/सकती हैं।

  www.aec.gov.au/pva

डाक से मतदान के लिए आवेदन फॉर्म में पूछे जाने वाले प्रश्न

एक प्रश्न में आपसे आपका पता पूछा जाएगा।

आपने मतदान के लिए नामाँकन करते समय हमें जो पता दिया था, आपको उसी पते का प्रयोग करना होगा।

एक अन्य प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि **आपके मतपत्रों** को कहाँ भेजा जाना चाहिए।

मतपत्र वे फॉर्म होते हैं जिन्हें आप अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देने के लिए भरते/भरती हैं।

आप हमें:

- अपने निवास का पता दे सकते/सकती हैं
- कोई अन्य पता दे सकते/सकती हैं जहाँ आपकी डाक जाती है
- कोई अन्य पता दे सकते/सकती हैं जहाँ आप किसी अन्य
    - राज्य
    - देश

  में जाते समय रहेंगे/रहेंगी।

हम आपसे एक सुरक्षा प्रश्न भी पूछेंगे।

यह एक पासवर्ड की तरह होता है।

आप अपनाः

- सुरक्षा प्रश्न चुन सकते/सकती हैं।
- अपना खुद का उत्तर लिख सकते/सकती हैं।

आपको अपना उत्तर याद रखना होगा।

यदि आप चाहें, तो आप इसे लिखकर सुरक्षित रख सकते/सकती हैं।

आपको अपने मतपत्र कब मिलेंगे?

हम आपको चुनाव का समय आने पर आपके मतपत्र भेजेंगे।

आपको ये डाक से मिलेंगे।

आपको:

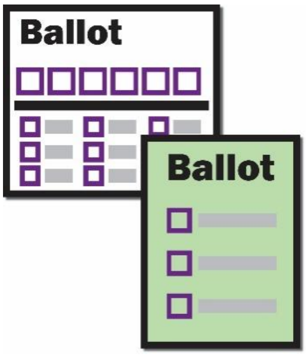

- 2 मतपत्र मिलेंगे:
  - एक सफेद रंग का
  - एक हरे रंग का।

- डाक से मतदान के लिए एक लिफाफा मिलेगा, जिसमें आपको अपने मतपत्र रखकर हमें वापिस भेजने होंगे।

आपको अपने मतपत्रों के साथ क्या करना होगा?

मतदान करने से पहले आपको एक **गवाह** की खोज करनी होगी।

गवाह ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको जानता है, जैसे कोईः

- परिजन
- मित्र
- पड़ोसी।

आपके गवाह को मतदाता सूची में होना चाहिए।

आपके गवाह को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि आप अपने मतपत्र स्वयं भरते/भरती हैं।

मतपत्रों को भरने से पहले अपने गवाह को मतपत्र और डाक से मतदान के लिए लिफाफा दिखाएँ।

डाक से मतदान के लिए लिफाफे पर आपका नाम और पता लिखा हुआ होगा।

इसमें आपका सुरक्षा प्रश्न भी पूछा जाएगा।

आपने सुरक्षा प्रश्न के लिए जो उत्तर अपने आवेदन में लिखा था, आपको वही उत्तर लिखना होगा।

इसके बाद आपको:

- अपना नाम हस्ताँकित करना होगा

  या

- अपना पहचान-चिह्न दर्शाना होगा।

आप अपने गवाह से सहायता माँग सकते/सकती हैं।

जब आप समाप्त कर लें, तो आपके गवाह को:

- लिफाफे पर हस्ताक्षर करने होंगे
- तिथि लिखनी होगी।

ये सब पूरा हो जाने के बाद आप मतदान करने के लिए तैयार हैं।

आपको अपना हरे रंग का मतपत्र कैसे भरना चाहिए?

आपका हरे रंग का मतपत्र **प्रतिनिधि सदन** के लिए होता है।

प्रतिनिधि सदनः

- ऑस्ट्रेलिया की संसद के 2 सदनों में से 1 सदन है - इस सदन में सरकार बनाई जाती है

- में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों द्वारा मतदान से चुने गए 151 लोग शामिल होते हैं।

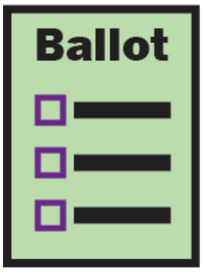

आपके हरे रंग के मतपत्र में:

- उम्मीदवारों के नामों की एक सूची होती है
- खाली चौखाने होते हैं।

आप जिस उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 1 लिखें।

जो उम्मीदवार आपकी दूसरी प्राथमिकता है, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 2 लिखें।

जब तक सभी चौखाने भर न जाएँ, तब तक उम्मीदवार चुनकर सँख्याएँ लिखते रहें।

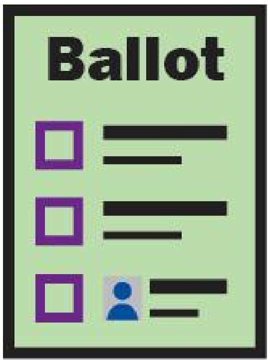

कुछ उम्मीदवारों के नाम के बगल में शब्द या चित्र हो सकते हैं।

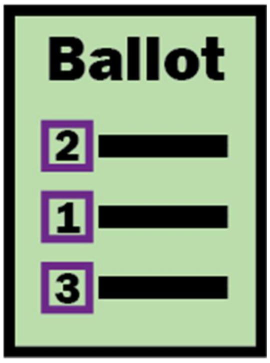

प्रत्येक चौखाने में एक अलग सँख्या होनी चाहिए।

सभी चौखानों को भर दिए जाने के बाद आपका मतपत्र पूरा हो जाता है।

आपको अपना सफेद रंग का मतपत्र कैसे भरना चाहिए?

आपका सफेद रंग का मतपत्र **सीनेट** के लिए होता है।

सीनेट:

- ऑस्ट्रेलिया की संसद के 2 सदनों में से 1 सदन है - इसे उच्च सदन कहा जाता है

- में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों द्वारा मतदान के माध्यम से चुने गए 76 लोग शामिल होते हैं, जोः
  - 6 राज्यों
  - 2 राज्य-क्षेत्रों

  का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आपके सफेद रंग के मतपत्र में एक काली रेखा होती है।

काली रेखा के ऊपर दलों की एक सूची दी गई होती है।

अधिकाँश दल **राजनीतिक दल** होते हैं।

राजनीतिक दल उम्मीदवारों का एक समूह होता है, जो:

- एक ही विचार रखते हैं
- इसपर सहमति रखते हैं कि सरकार को हमारा देश कैसे चलाना चाहिए।

काली रेखा के नीचे उम्मीदवारों की एक सूची दी गई होती है।

सफेद रंग के मतपत्र को भरने के 2 तरीके हैं:

- काली रेखा के ऊपर दिए गए चौखाने में सँख्याएँ लिखें और अपना मत दलों को दें

या

- काली रेखा के नीचे चौखानों में सँख्याएँ लिखें और उम्मीदवारों को मत दें।

काली रेखा के ऊपर मतदान कैसे करें

आप जिस दल को अपना मत देने के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 1 लिखें।

जो दल आपकी दूसरी प्राथमिकता है, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 2 लिखें।

जब तक सभी 6 चौखाने भर न जाएँ, तब तक दलों को चुनकर सँख्याएँ लिखते रहें।

आप 6 पर समाप्त कर सकते/सकती हैं या सँख्याएँ लिखना जारी रख सकते/सकती हैं।

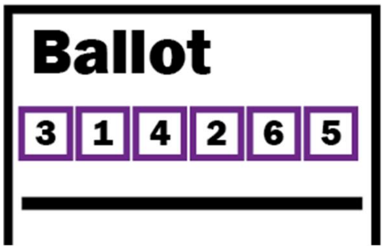

यदि 6 से कम खाली चौखाने हों, तो प्रत्येक चौखाने में एक सँख्या लिखें।

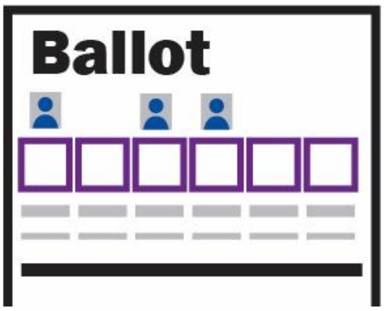

कुछ दलों के नाम के बगल में शब्द या चित्र हो सकते हैं।

काली रेखा के नीचे मतदान कैसे करें

आप जिस उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 1 लिखें।

जो उम्मीदवार आपकी दूसरी प्राथमिकता है, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 2 लिखें।

जब तक सभी 12 चौखाने भर न जाएँ, तब तक उम्मीदवार चुनकर सँख्याएँ लिखते रहें।

आप 12 पर समाप्त कर सकते/सकती हैं या सँख्याएँ लिखना जारी रख सकते/सकती हैं।

यदि 12 से कम खाली चौखाने हों, तो प्रत्येक चौखाने में एक सँख्या लिखें।

आपको अपने मतपत्र कहाँ जमा करने चाहिए?

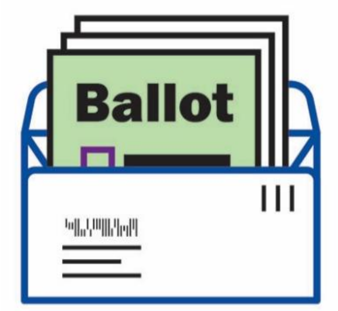

जब आपने अपने मतपत्र भर लिए हों, तो आपको उन्हें डाक से मतदान के लिए लिफाफे में रखकर सील कर देना चाहिए।

डाक से मतदान के लिए लिफाफे को एक मेलबॉक्स में डाल दें।

आपको डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है।

यह कार्य तुरंत करें, ताकि लिफाफा हमारे पास जल्दी से पहुँच जाए।

जब आपने अपना लिफाफा मेलबॉक्स में डाल दिया हो, तो आपका मतदान पूरा हो जाता है।

क्या आपको प्रत्येक चुनाव में डाक से मतदान के लिए आवेदन करना आवश्यक है?

आपको प्रत्येक चुनाव से पहले डाक से मतदान के लिए आवेदन करना होगा।

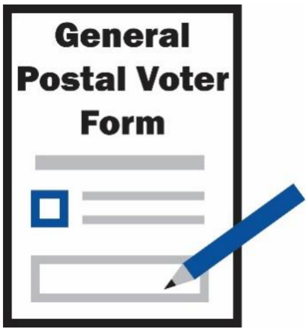

लेकिन आप **सामान्य डाक मतदाता** बनने के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं।

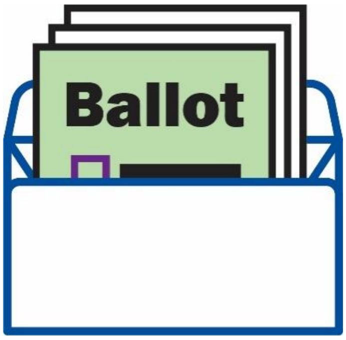

सामान्य डाक मतदाता को प्रत्येक संघीय चुनाव के लिए उसके मतपत्र डाक से भेजे जाते हैं।

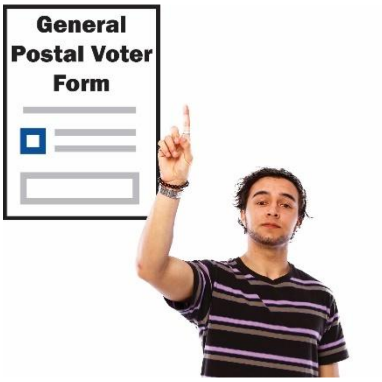

इसका अर्थ है कि आपको अन्य संघीय चुनावों के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है।

आपको एक सामान्य डाक मतदाता बनने के लिए **पात्र** होना चाहिए।

यदि आप पात्र हैं, तो आप हमारी आवश्यकताएँ पूरी करते/करती हैं।

इसका अर्थ है कि आपको प्रत्येक चुनाव के लिए डाक से मतपत्र भेजे जाएँगे।

आप हमारी वेबसाइट पर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं और आवेदन कर सकते/सकती हैं।

www.aec.gov.au/gpv

क्या आप चुनाव से पहले मतदान का अभ्यास कर सकते/सकती हैं?

यदि आप मतदान के लिए अभ्यास करना चाहते/चाहती हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते/सकती हैं।

www.aec.gov.au/practice

आपके अभ्यास मतदान की गणना नहीं की जाती है।

चाहे आपने अभ्यास मतदान किया हो, परंतु फिर भी आपके लिए

- मतदान स्थल पर

  या
- डाक से

मतदान करना आवश्यक होता है।

आप और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते/सकती हैं?

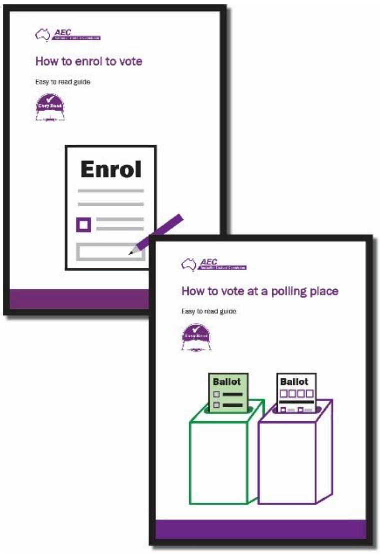

यदि आप मतदान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं, तो हमारे पास पढ़ने के लिए 2 अन्य मार्गदर्शिकाएँ हैं:

- *मतदान के लिए नामाँकन कैसे करें*
- *मतदान स्थल पर मतदान कैसे करें।*

आप हमारी वेबसाइट से इन मार्गदर्शिकाओं को प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

www.aec.gov.au/assistance

अँग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का उपयोग करने वाले लोगों के लिए भी हमारी वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।

शब्द सूची

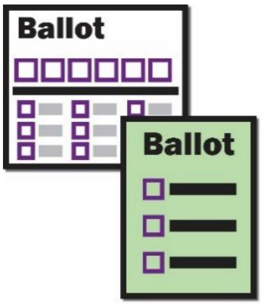

मतपत्र

मतपत्र फॉर्म होते हैं जिन्हें जिन्हें आप अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देने के लिए भरते/भरती हैं।

नागरिक

नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने निवास के देश के अधिकार और स्वतंत्रताएँ दी जाती है।

चुनाव अधिकारी

चुनाव के दिन मतदान स्थलों पर कार्य करने वाले व्यक्ति।

उनका कार्य आपकी सहायता करना होता है।

मतदाता सूची

मतदान करने वाले व्यक्तियों की सूची।

पात्र

यदि आप पात्र हैं, तो आप हमारी आवश्यकताएँ पूरी करते/करती हैं।

नामाँकन करना

जब आप अपना नामाँकन करते/करती हैं, तो हम मतदाताओं की एक सूची में आपका नाम दर्ज करते हैं।

संघीय चुनाव

संघीय चुनाव पूरे देश के लिए होता है।

इसके माध्यम से हम ऑस्ट्रेलिया की सरकार का चयन करते हैं।

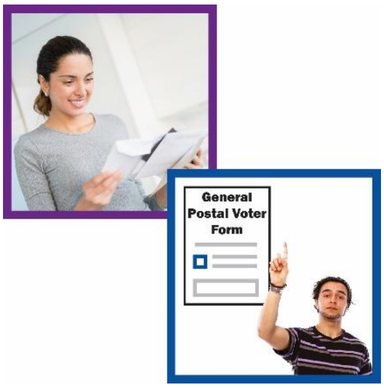

सामान्य डाक मतदाता

सामान्य डाक मतदाता को:

- चुनाव की तिथि तय कर लिए जाने के बाद उसके मतपत्र डाक से भेजे जाते हैं
- अन्य संघीय चुनावों के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है।

राजनीतिक दल

राजनीतिक दल उम्मीदवारों का एक समूह होता है जो:

- एक ही विचार रखते हैं
- इसपर सहमति रखते हैं कि सरकार को हमारा देश कैसे चलाना चाहिए।

मतदान स्थल

मतदान स्थल स्कूल या सामुदायिक केंद्र जैसा एक भवन होता है, जहाँ चुनाव के दौरान लोग मतदान करने के लिए जाते हैं।

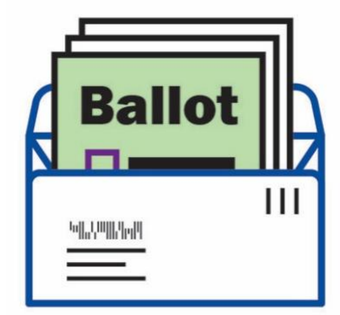

डाक से मत

आप हमें अपना मत डाक से भेजते/भेजती हैं।

मतदान करना

जब आप मतदान करते/करती हैं, तो आप इस बात का चयन करने में सहायता देते/देती हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार का हिस्सा कौन बनेगा।

मतदाता

वे व्यक्ति जो मतदान कर सकते हैं।

गवाह

गवाह ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको जानता है, जैसे कोईः

- परिजन
- मित्र
- पड़ोसी।

आपके गवाह को मतदाता सूची में होना चाहिए।

हमसे संपर्क करें

राष्ट्रीय रिले सेवा

टीटीवाई उपयोगकर्ता:

- इस नंबर पर फोन करें: 13 36 77
- इस नंबर से जोड़े जाने के लिए निवेदन करें: 13 23 26

स्पीक एंड लिसन उपयोगकर्ता:

- इस नंबर पर फोन करें: 1300 555 727
- इस नंबर से जोड़े जाने के लिए निवेदन करें: 13 23 26

इंटरनेट रिले उपयोगकर्ता:

- एनआरएस से कनेक्ट करें
- इस नंबर से जोड़े जाने के लिए निवेदन करें: 13 23 26

अन्य भाषाएँ:

- इस नंबर पर फोन करें: 1300 720 153

www.aec.gov.au

/AusElectoralCom/

@AusElectoralCom

@auselectoralcom

सूचना पहुँच समूह ने स्टॉक फोटोग्राफी और कस्टम चित्रों का उपयोग करके पढ़ने में आसान इस मार्गदर्शिका को तैयार किया है।

अनुमति के बिना चित्रों का पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है। चित्रों के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए कृपया www.informationaccessgroup.com पर जाएँ।

जॉब नंबर 3035-C का प्रयोग करें।

इलेक्टरल कमिश्नर (निर्वाचन आयुक्त), कैनबरा द्वारा प्राधिकृत। | Authorised by the Electoral Commissioner, Canberra